भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

icmr
INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

संख्या 16/47/2023 –प्रशा./ई-169667 **दिनांक: 11.03.2025**

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- परिषद मुख्यालय में इंट्राम्यूरल अनुसंधान कार्यक्रमके संचालन हेतु दिशानिर्देश में संशोधन।

परिषद मुख्यालयमें इंट्राम्यूरल अनुसंधान कार्यक्रम के संचालन के लिए दिनांक 16/11/2023 के कार्यालय ज्ञापन के दिशा-निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित परिशिष्ट बनाया गया है:-

"आईसीएमआर के संस्थान या वैज्ञानिक द्वारा इंट्राम्यूरल अनुसंधान परियोजनाओं में विदेशी सहयोग की अनुमति निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति में दी जाएं:

(क) अनुसंधान परियोजनाओं को परिषद मुख्यालयके वैज्ञानिक द्वारा प्रधान अन्वेषक या सह-प्रधान अन्वेषक के सहयोग से सह-विकसित किया गया हो।अनुसंधान परियोजनाओं के सह-विकास का अर्थ है कि आईसीएमआर के वैज्ञानिक अध्ययन की अवधारणा, अध्ययन का प्रोटोकॉल लिखने, प्रयोगशाला विश्लेषण, डाटा विश्लेषण, डाटा की व्याख्या, पांडुलिपि लेखन आदि में कम से कम बराबर के भागीदार थे।

(ख) अनुसंधान संचालन के लिए अपेक्षित सुविधाएं/कौशल/तकनीक/पद्धतियां भारत में उपलब्ध नहीं हैं और परिषद मुख्यालयके वैज्ञानिक इन नए कौशल/तकनीकों/पद्धतियों को सीखेंगे तथा इस सहयोग के माध्यम से आईसीएमआर संस्थान में सुविधाएं स्थापित करेंगे।

संस्थान की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के अनुमोदन के बाद संबंधित प्रधान अन्वेषक द्वारा संस्थान के निदेशक/निदेशक प्रभारी के माध्यम से प्रस्ताव परिषद मुख्यालय के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रभाग द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन के लिए परिषद के महानिदेशक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तत्पश्चात्, इसे एचएमएससी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए।

यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

11/03/2025
(सफल छेत्री)
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक/ वरिष्ठ उपमहानिदेशक (प्रशा.)/ वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव
2. परिषद मुख्यालय के सभी संस्थानों/केंद्रों के निदेशक/निदेशक प्रभारी
3. सभी प्रभागीय प्रमुख, परिषद मुख्यालय
4. उपमहानिदेशक(प्रशा.)/सहायक महानिदेशक(प्रशा.)-दोनों
5. डॉ. एम.एस चाल्गा, वैज्ञानिक-डी – से अनुरोध है कि इसे परिषद मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।